माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2010–2011 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

हमारी सरकार को सत्ता सम्भाले हुए दो वर्ष से अधिक का समय हो गया है और इस दौरान हमारी कई उपलब्धियां रही हैं। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि एक समान विकास को सुनिश्चित करते हुए हिमाचल प्रदेश सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित करे।

2. हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इस वर्ष 'इण्डिया टूडे – आज तक' मीडिया ग्रुप ने राज्य को कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ राज्य पाया और '**स्टेट ऑफ द स्टेटस अवार्डज़**' प्रदान किए हैं। एक अन्य मीडिया ग्रुप 'आऊटलुक–आई.बी.एन.–7' ने हिमाचल प्रदेश को '**डायमण्ड स्टेट अवार्डज़**' प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के दो विख्यात ग्रुपों द्वारा विविध क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना जाना प्रदेश के लिए बहुत संतोष का विषय है।

3. यही नहीं, इस वर्ष नवम्बर, 2009 तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन में भी हिमाचल प्रदेश ने पूरे राष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

4. विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उच्च विकास स्तर को बनाए रखने के लिए मैं इस मान्य सदन से सहयोग का आग्रह करता हूं ताकि आगामी वर्षों में हम इससे भी बेहतर कार्य कर सकें।

आर्थिक परिदृश्य

5. सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले लगभग दो वर्षों से विश्व की अर्थव्यवस्था में उथल–पुथल रही है। वैश्विक आर्थिक गिरावट का हमारी राष्ट्रीय आर्थिकी पर भी प्रभाव पड़ा है। हाल ही में इससे उबरने के कुछ अच्छे संकेत मिले हैं।

6. पिछले कुछ समय से भारत सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन देने से जहां एक ओर अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के वित्तीय संसाधनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 2009–10 की समाप्ति पर भारत

सरकार का वित्तीय घाटा जी.डी.पी. के मुकाबले 6.9 प्रतिशत अनुमानित है।

7. भारत सरकार ने वित्तीय स्टिमयुलस उपायों के रूप में 2009–10 के दौरान सभी राज्यों को जी.एस.डी.पी. के 0.5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी थी। इस वर्ष केन्द्रीय करों में कम वृद्धि के कारण, केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से की मात्रा भी कम रही है। हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले केन्द्रीय करों के अपने हिस्से में, इस वर्ष लगभग 175 करोड़ रू. कम मिलने अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से हमारे राज्य सहित सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है।

8. हालांकि उपरोक्त घटनाक्रमों से हमारे संसाधनों पर दबाव पड़ा है फिर भी मान्य सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उचित कैश बेलैंस बनाए रखा और हमें

किसी प्रकार के अर्थोपाय, अग्रिमों अथवा ओवर ड्राफ्ट के लिए रिज़र्व बैंक का सहारा नहीं लेना पड़ा। अप्रैल–दिसम्बर, 2009 के दौरान प्रदेश के अपने करों से आय में 18 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में यह वृद्धि 13.61 प्रतिशत थी। 2009–10 की समाप्ति पर जी.एस.डी.पी. के मुकाबले हमारा वित्तीय घाटा 5.42 प्रतिशत अनुमानित है। 2009–10 में, राष्ट्रीय जी.डी.पी. की 7.2 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि के मुकाबले प्रदेश की जी.डी.पी. में 7.5 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। यह आंकड़े भारी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबन्धन को दर्शाते हैं। विवेकपूर्ण वित्त प्रबन्धन तथा सीमित संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरूप विश्व बैंक से राज्य सरकार को 471 करोड़ रू., डवैल्पमेंट पॉलिसी लोन की दूसरी किश्त प्राप्त हुई है।

13वें वित्तायोग की सिफारिशें

9. 13वें वित्तायोग की सिफारिशें हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश की गई। भारत सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट के अनुसार 13वें वित्तायोग द्वारा देश के सभी राज्यों को कुल प्रस्तावित वित्तीय ट्रांसफर, 12वें वित्तायोग की तुलना में ,126 प्रतिशत अधिक हैं। दुर्भाग्यवश, हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्तावित बढ़ौतरी केवल 50 प्रतिशत है जोकि सबसे कम है। 13वें वित्तायोग द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश को कुल 21,691 करोड़ रू. वित्तीय ट्रांसफर की सिफारिश की है, जबकि 12वें वित्तायोग ने 2005–10 अवधि के लिए कुल 14,450 करोड़ रू. की सिफारिश की थी। 13वें वित्तायोग द्वारा हमारे खर्चों को कम आंकने व आमदनी को अधिक आंकने की वजह से प्रदेश को 12वें वित्तायोग द्वारा दिए गए राजस्व घाटा ग्रांट से भी कम राजस्व घाटा ग्रांट स्वीकृत की गई है। 12वें वित्तायोग द्वारा स्वीकृत 10,202 करोड़ रू. राजस्व घाटा ग्रांट की तुलना में 13वें वित्तायोग

ने 7,888 करोड़ रू. राजस्व घाटा ग्रांट स्वीकृत की है। आगामी वर्षों में इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

10. हमारी सरकार वर्ष 2010–11 की वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में पूंजीगत व्यय तथा रखरखाव व्यय के लिए पर्याप्त बजट रखा गया है, जिसके साथ–साथ खर्चों पर नियंत्रण रखा जाएगा ताकि निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित किया जा सके।

मुद्रास्फीति व राज्य खाद्यान्न उपदान

11. हाल ही के महीनों में थोक मुद्रास्फीति दर में वृद्धि चिन्ता का विषय रहा है। जनवरी, 2010 में यह दर 8.56 प्रतिशत रही। दैनिक उपयोग की वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अस्थिरता इससे भी अधिक चिन्ता का विषय है। दिसम्बर, 2009 में खाद्यान्न मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर तक पहुंची और यह दर अब भी काफी ऊंची है। मुद्रास्फीति और तेजी से बढ़ती कीमतों ने लोगों के

घरेलू बजट के लिए कड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिसकी सबसे ज्यादा मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में मुद्रास्फीति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है क्योंकि हमारे राज्य में अधिकतर आवश्यक वस्तुएं प्रदेश के बाहर से आती हैं। अतः केन्द्र सरकार की नीतियां ही हमारे प्रदेश में मूल्यों को प्रभावित कर रही हैं। 26/27 फरवरी, 2010 मध्य रात्रि से केन्द्रीय बजट में पैट्रोलियम उत्पादों पर करों में की गई बढ़ौतरी से स्थिति और बिगड़ गई है और इससे कीमतें और बढ़ेंगी।

12. कीमतों में वृद्धि की यथासम्भव रोकथाम हेतु हमारी सरकार वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार राज्य अनुदानित स्कीम के तहत 3 दालों, 2 खाद्य तेलों व नमक के वितरण के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि प्रदेश में 10.88 लाख एपीएल राशन कार्ड धारक हैं, परन्तु प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद, केन्द्र सरकार द्वारा चावल और गेहूं के लिए

केवल 7.43 लाख कार्ड धारकों के हिसाब से ही प्रदेश को कोटा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार का हिमाचल प्रदेश के प्रति सौतेला व्यवहार इस बात से भी स्पष्ट है कि अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में हमें अपेक्षाकृत कम खाद्यान्न दिये जा रहे हैं। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सामग्री की उपलब्धता बाधित हो रही है। पीडीएस की बेहतर टारगेटिंग के लिए सरकार द्वारा आगामी वर्ष में शिमला के दो ब्लॉकों में बायोमैट्रिक्स पर आधारित स्मार्ट कार्ड पायलट योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ाई से निगरानी रख रही है।

वार्षिक योजना 2010–11

13. अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार की वचनबद्धता को दोहराना चाहूंगा कि पिछली सरकार से विरासत में मिली कमज़ोर आर्थिक स्थिति को तीव्र विकास के लक्ष्य के मार्ग में रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। **'सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोज़गार, स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान'** के लक्ष्य को प्राप्त

करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। प्रदेश में तेजी से चल रही परियोजनाएं इस बात का सबूत हैं कि इस राज्य की जनता से किए गए वायदों के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

14. वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष की 2700 करोड़ रू. की योजना के मुकाबले हमने वर्ष 2010–11 के लिए 3000 करोड़ रू. की वार्षिक योजना का प्रावधान किया है। इस योजना राशि का 64 प्रतिशत परिव्यय पूंजीगत कार्यों पर किया जाएगा।

15. 14 व 15 जनवरी, 2010 को मान्य सदन के माननीय सदस्यों के साथ किए गए गहन विचार–विमर्श के आधार पर अगले वर्ष की सेक्टर प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं।

16. पिछले दो वर्षों में हमारी सरकार द्वारा जो विकास की नींव रखी गई थी, 2010–11 की वार्षिक योजना उसी प्रक्रिया को और मज़बूती प्रदान करेगी। चालू पूंजीगत कार्यों को

तेजी से पूरा करने पर बल देने के साथ–साथ सम्बन्धित विभाग मौजूदा परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर भी ध्यान देंगे।

17. अध्यक्ष महोदय, अब मैं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों तथा नीतियों का उल्लेख करूंगा।

कृषि, बागवानी तथा सम्बद्ध गतिविधियां

18. कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मच्छली पालन सम्बन्धी गतिविधियां हिमाचल प्रदेश की जनता के जीवनयापन के प्रमुख साधन हैं। लगभग 70 प्रतिशत लोग इस सैक्टर पर निर्भर हैं। **'पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि'** योजना राज्य के किसानों के उत्थान हेतु हमारा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत किसानों को 80 प्रतिशत उपदान दिया जाता है जिसका उपयोग पॉलीहाऊस निर्माण व माईक्रो–सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत आगामी वर्ष में 4.90 लाख वर्गमीटर क्षेत्र पॉलीहाऊस तथा 8000 हैक्टेयर क्षेत्र को माईक्रो सिंचाई सुविधाओं के अधीन लाया जाएगा। **हमारी**

सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के लिए, बांस का पॉलीहाऊस लगाने के लिए, लाभार्थी का हिस्सा 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। अतः ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा 90 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य कृषि विपणन बोर्ड कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन हेतु कलस्टर आधारित संग्रहण केन्द्र स्थापित करेगा।

19. राज्य में फसलों की पैदावार में विविधता लाने के लिए और ऑरगैनिक खेती व वाटर हारवेस्टिंग को बढ़ावा देकर कृषि आय बढ़ाने हेतु हमारी सरकार ने 372 करोड़ रू. की एक योजना तैयार की है। इस योजना को जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन (जे.आई.सी.ए.) द्वारा फंडिग करने हेतु हमने केन्द्र सरकार से मामला उठाया है। **केन्द्र सरकार ने इस योजना को 'रोलिंग प्लान' में शामिल कर लिया है और 2010–11 में इसका कार्यान्वयन सम्भावित है।**

20. बागवानी क्षेत्र में बागवानी तकनीकी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों के अलावा हमारी सरकार ने पॉयलट के तौर पर **'फसल बीमा'** योजना आरम्भ की है ताकि किसानों को मौसम की बेरूखी से बचाया जा सके। इस योजना का आगामी वर्ष के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा और बीमा किश्त का 50 प्रतिशत भी सरकार वहन करेगी। **पॉयलट स्तर पर, हम शीघ्र ही शिमला ज़िला में 'एंटी–हेल रॉडार व गन' आधारित फसल सुरक्षा उपकरण स्थापित करेंगे।**

21. बदलते पर्यावरण तथा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनज़र सेब की खेती को लाभदायक बनाने हेतु हमारी सरकार शीघ्र ही 85 करोड़ रू. के **'एप्पल रिजूविनेशन प्रोजैक्ट'** को क्रियान्वित करेगी। इस प्रोजैक्ट के तहत अगले पांच सालों में 12,500 एकड़ क्षेत्र पर सेब के पुराने व कम फसल देने वाले पेड़ों के स्थान पर अधिक फसल देने वाली किस्मों के

रूट–स्टॉक लगाने का प्रावधान होगा।

22. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के बारे में हमने गम्भीरता से विचार किया है। इस दिशा में हम आगामी वर्ष में **'मुख्यमंत्री आरोग्य पशु धन'** योजना आरम्भ करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि अगले तीन वर्षों में उन सभी पंचायतों में पशु औषधालय खोले जाएं, जहां पर अभी ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए लगभग 1150 पंचायतों में पशु औषधालय खोलने होंगे। पहले चरण में, आगामी वर्ष में, 800 पशु चिकित्सा सहायक प्रशिक्षित किए जाएंगे, जो प्रशिक्षण पाने के उपरान्त नये प्रस्तावित पशु औषधालयों में, पंचायतों के नियंत्रण में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, आरम्भ में, इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त पशु फार्मासिस्टों की सेवाएं भी पंचायतों के अन्तर्गत ,उपयोग में लाई जाएंगी। पंचायतों को पशु चिकित्सा सहायक लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा और उन्हें

इसके लिए सरकार आवश्यक ग्रांट उपलब्ध करवाएगी। नये पशु औषधालय खोलने के लिए उन पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां पर पंचायतें आवश्यक भवन उपलब्ध करवाएंगी और जहां पर सेवानिवृत्त पशु फार्मासिस्टों की सेवाएं पंचायतों के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

23. सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को बेसहारा गौ–जाति पशुओं के पुनर्वास हेतु सुन्नी, लहरी बरोटा, बनूरी और खजियां में गौ सदन चलाने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। इनके पुनर्वास के पुनीत कार्य को बढ़ाने की दिशा में हमारा प्रस्ताव है कि प्रदेश के प्रमुख मंदिर न्यासों के सहयोग से गौ सदन खोले जाएं, जिनके लिए ये न्यास आवश्यक वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करेंगे। पशु पालन विभाग इन गौ सदनों/गौशालाओं को तकनीकी सहायता देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। सामाजिक व धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे गौ

सदनों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए भी विभाग आवश्यक कदम उठाएगा।

24. मच्छली पालकों की आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 6560 सक्रिय मच्छवारों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर की राशि 50,000 रू. से बढ़ाकर एक लाख रू. कर दी गई है। मच्छली पालकों की आय वृद्धि हेतु सरकार ट्राऊट मच्छली पालन में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने का प्रस्ताव करती है।

जल संरक्षण एवं दोहन

25. हमारी सरकार की यह परिकल्पना है कि प्रदेश के हर नदी नालों में बह रहे पानी को चैक डैम और वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संरक्षित किया जाए और पानी की एक–एक बूंद को कृषि व अन्य उपयोगों के लिए बचाया जाए। आगामी वर्ष के दौरान हमारी सरकार जल संरक्षण तथा वाटरशेड परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देगी। वाटरशैड कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने व बेहतर समन्वय के लिए

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। दीर्घकाल से पानी की कमी झेल रहे 12 ब्लॉकों को वाटरशैड कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी।

26. हमने 1999 में शहरी क्षेत्रों में विभिन्न भवनों में और अन्य क्षेत्रों में कमर्शियल/बड़े भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्थापित करना अनिवार्य बनाया था। हम इस नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और इस बारे में अगर किसी भी स्तर पर कोताही पाई जाती है तो यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

27. वाटरशैड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 4668 करोड़ रू. की एक महत्वकांक्षी दूरगामी योजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है। 2009–10 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 306 करोड़ रू. की 36 नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनके अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कुल 2 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र का

विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोज़गार से आमदनी बढ़ाने तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

28. कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, नकदी तथा मुख्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु तथा बदलते हुए जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए सिंचाई व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। ए. आई.बी.पी. तथा नाबार्ड स्कीमों के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 141.48 करोड़ रू. तथा निर्माणाधीन शाहनहर, चंगर व सिधाता सिंचाई परियोजनाओं के लिए 62 करोड़ रू. का योजना परिव्यय प्रस्तावित है। इस परिव्यय से 2010–11 के दौरान 6500 हैक्टेयर क्षेत्र के सी. सी.ए. के लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

29. 2010–11 के दौरान 147 करोड़ रू. की फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 10 करोड़ रू. प्रस्तावित हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 4025 हैक्टेयर क्षेत्र का सी.सी.ए. सिंचित होगा।

बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत दो चालू परियोजनाओं नामतः ऊना जिला की स्वां चरण–2 तटीकरण तथा जिला सिरमौर की गिरिबाता नदी के तटीकरण हेतु वर्ष 2010–11 के लिए क्रमशः 75 करोड़ तथा 15 करोड़ रू. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। जिला मण्डी, हमीरपुर तथा बिलासपुर में 'सीर खड्ड' का तटीकरण भी सरकार के विचाराधीन है, जिसके लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए कुल 105 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

30. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मानना है कि चहुंमुखी उन्नति कृषि उत्पादकता में वृद्धि से ही सम्भव है, जिससे कृषि श्रमिकों तथा किसानों व बागवानों की आय में आवश्यक बढ़ौतरी होती है। इस उद्धेश्य हेतु आगामी वर्ष में सिंचाई सेवाओं सहित कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के लिए मैं

427 करोड़ रू. की योजना राशि का प्रस्ताव करता हूं।

ग्रामीण विकास/पंचायतें

31. ग्रामीण विकास विभाग स्वरोज़गार के मौकों को बढ़ाने पर और अधिक बल देगा। बी.पी.एल. ग्रामीण युवाओं के लिए मार्किट–लिंकड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वे निजी क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त करने और स्वरोज़गार हेतु छोटी इकाइयां स्थापित करने हेतु सक्षम बन सकें। इसके लिए 2010–11 से 2021–22 तक की अवधि के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। सरकार ने **'स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार'** योजना (एस.जी.एस.वाई.) विशेष परियोजना घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से कौशल विकास की दो परियोजनाएं अनुमोदित करवाई हैं। इन दोनों परियोजनाओं के अधीन 3700 बी.पी.एल. ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके प्रशिक्षण पर 3.5 करोड़ रू. खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अग्रणी बैकों के सहयोग से दस जिलों में ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान

स्थापित किए जा रहे हैं।

32. **'अटल आवास'** योजना तथा **'इन्दिरा आवास'** योजना के तहत वर्ष 2009–10 में कुल मिलाकर 13,387 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्राप्त कर लिया जाएगा। अगले वर्ष से नए घरों के निर्माण हेतु हमारी सरकार ने इन दोनों योजनाओं के तहत सहायता राशि को प्रति यूनिट 38,500 रू. से बढ़ा कर 48,500 रू. करने का निर्णय लिया है।

33. **'गुरू रविदास सार्वजनिक सुविधा उन्नयन'** योजना के अन्तर्गत, 2009–10 में 13.65 करोड़ रू. आबंटित किए गए थे, जिसे 2010–11 के लिए बढ़ाकर 22.40 करोड़ रू. किया जा रहा है।

34. वर्ष 2009–10 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में **'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'** (टी.एस.सी.) को गति प्रदान करने पर बल दिया गया है। इस वर्ष सफल पंचायतों को **महाऋषि बाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार** के अन्तर्गत 1.44 करोड़

रू. पुरस्कार राशि प्रदान की गई। 31 जनवरी, 2010 तक 3243 ग्राम पंचायतों में से 2260 पंचायतें खुला शौच मुक्त हो गई हैं। अगले वर्ष के अन्त तक शतप्रतिशत पंचायतों को खुला शौच मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हम इस कार्यक्रम को और प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।

35. मनरेगा के अन्तर्गत, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हमारी सरकार 525 करोड़ रू. खर्च करेगी, जिससे 4.5 लाख से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को उनकी जमीन को सुधारने के लिए उस पर सिंचाई तथा बागवानी विकास जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। 2010–11 में बड़े पैमाने पर ऐसे कार्य निजी भूमि पर हाथ में लिए जाएंगे जिससे कृषि उत्पाद में वृद्धि हो और जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। केन्द्र सरकार इस स्कीम के लिए केवल 100 रू. दैनिक मज़दूरी के रूप में देती है जबकि हम 110 रू. दे रहे हैं। इस तरह से शेष 10 रू.

दैनिक मज़दूरी राज्य संसाधनों से दी जा रही है जिसके कारण इस वर्ष लगभग 40 करोड़ रू. राज्य बजट से वहन किए जाएंगे। हमें इस बात का गर्व है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में ज़िला कांगड़ा देश के उन 25 जिलों में से है, जिन्हें नैशनल अवार्ड फॉर एक्सीलैंस प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को अगले साल भी सफलतापूर्वक चलाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।

36. हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु वचनबद्ध है। हम पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय ले चुके हैं। पंचायतों के उप प्रधानों के पदों हेतु सीधे चुनाव करवाने के लिए हमने सम्बन्धित कानून संशोधित किया है। विभिन्न स्कीमों, विशेषकर मनरेगा के सोशल आडिट में ग्रामसभा की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाएगा जिसके लिए नियम व मैनुअल सरल किए जाएंगे। आगामी वर्ष के लिए ग्रामीण विकास गतिविधियों हेतु मैं

168.66 करोड़ रू. की योजना राशि का प्रस्ताव करता हूं।

37. 20–सूत्रीय कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन और विभिन्न जिलों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को हर वर्ष क्रमशः 50, 30 और 20 लाख रू. के पुरस्कार ,विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे।

उर्जा

38. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में लगभग 23 हजार मैगावाट की उर्जा पैदा हो सकती है। अब तक लगभग 6480 मैगावाट का दोहन किया जा चुका है जिसमें से 44 प्रतिशत क्षमता बी.बी.एम.बी. तथा पंजाब के नियन्त्रण में है, जहां से राज्य की आय नगण्य है। हमारी प्राथमिकता शेष पोटैन्शल का तेजी से दोहन करना होगा, जिससे राज्य को उचित आमदनी हो। इस दिशा में हमने अपनी पिछली सरकार के दौरान केन्द्रीय पीएसयू तथा निजी क्षेत्र, दोनों को बड़े पैमाने पर जलविद्युत विकास में शामिल करने की प्रक्रिया आरम्भ की थी। उन प्रयासों के

अच्छे परिणाम अब मिल रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान अलियां दोहांगन, मलाना–II, बुधील, चमेरा–III तथा कुछ छोटी परियोजनाओं के चालू होने पर 600 मैगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जुड़ने की आशा है। इन परियोजनाओं से हर वर्ष 2700 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होनी अनुमानित है। सभी पनविद्युत परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि कुल जलविद्युत सम्भावना में से 17,000 मैगावाट कपेसिटी का, 12वीं योजना के अन्त तक, दोहन हो सके।

39. हमारी सरकार जलविद्युत संसाधन के समुचित विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की मिश्रित भागीदारी की नीति को अपना रही है। निजी क्षेत्र को स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया से आबंटित 4300 मैगावाट की परियोजनाओं से राज्य सरकार की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ–साथ हिमाचल प्रदेश उर्जा निगम तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा लगभग 3800 मैगावाट बिजली का दोहन किया

जाएगा। लगभग 9000 मैगावाट उर्जा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के नियन्त्रण में होगी।

40. हमारी सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ राज्य को जलविद्युत उत्पादन कर लगाने की अनुमति का मुद्‌दा पहले की तरह निरन्तर उठाती रहेगी।

41. सरकार का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में लघु जलविद्युत परियोजनाएं अह्म भूमिका निभाती हैं। 1995—96 से अब तक, हमने 5 मैगावाट क्षमता तक की 618 परियोजनाएं आबंटित की हैं। इनमें से मात्र 26 परियोजनाएं चालू हुई हैं। तेज विकास हेतु लघु जलविद्युत नीति को युक्तियुक्त करना अतिआवश्यक है। सभी पक्षों के साथ समुचित विचार—विमर्श करके हम इस नीति में अपेक्षित परिवर्तन करेंगे। उर्जा निर्यात करने के लिए ट्रांसमिशन लाईनों का निर्माण अति—आवश्यक है। इसे सुनिश्चित करने हेतु ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया

जा रहा है, जिसे 6 महीनों के अन्दर अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

42. स्वच्छ उर्जा तथा उर्जा बचाने हेतु हमारी वचनबद्धता के दृष्टिगत हमारी सरकार ने '**अटल बिजली बचत**' योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। प्रत्येक घर को 4 सी.एफ.एल. बल्व मुफ्त वितरित किए गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 270 मिलियन यूनिट बिजली यानि कि 100 करोड़ रू. से अधिक की बचत हो रही है।

43. हमारी सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से सौर उर्जा के दोहन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसके लिए शिमला और हमीरपुर को '**सौर नगर**' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भवनों पर सौर उर्जा आधारित उपकरण लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी विश्वविद्यालय, सोलन और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर में दो राज्यस्तरीय उर्जा पार्क लगाने का

भी प्रस्ताव है।

सड़कें **44.** अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन सहित विभिन्न मंचों पर मैंने सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा निर्माण को, राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। 2008–09 के मुकाबले 2009–10 में हम सड़कों पर 42 प्रतिशत अधिक योजना राशि व्यय करेंगे जोकि सड़कों के विस्तार और उनके रखरखाव के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान 3327 किलोमीटर सड़कों की जल निकास नालियां बनाने के अतिरिक्त, 2103 किलोमीटर सड़कों तथा 121 पुलों का निर्माण किया, 1655 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया और 3091 किलोमीटर सड़कों की वार्षिक सरफेसिंग करवाई। नाबार्ड योजनाओं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और राज्य स्कीमों के अन्तर्गत नई सड़कों के निर्माण और रखरखाव हेतु अधिक वित्तीय प्रावधान के कारण यह सम्भव हो पाया है।

45. मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव को न केवल अगली वार्षिक योजना बल्कि आने वाले कई सालों तक प्राथमिकता दी जाती रहनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण कार्य को हमारी सरकार द्वारा दिए गए महत्व के फलस्वरूप वर्ष 2009–10 में सड़कों के रखरखाव हेतु 147 करोड़ रू. योजना और 186 करोड़ रू. गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत प्रदान किए गए। अगले वर्ष भी सड़कों के रखरखाव हेतु हम पर्याप्त धन देते रहेंगे। आगामी वर्ष के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए एनपीवी लागत के रूप में 18 करोड़ रू., हम राज्य बजट से प्रदान करेंगे क्योंकि केन्द्र सरकार ने एनपीवी लागत को, परियोजना लागत में शामिल करने सम्बन्धी हमारे निवेदन को अभी तक सहमति नहीं दी है। **माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आर.आई.डी.एफ. सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड ने एनपीवी लागत को**

परियोजना लागत में शामिल करने की सहमति दे दी है।

46. हमारी सरकार ने 890 किलोमीटर लम्बी 7 सड़कों को राष्ट्रीय उच्चमार्ग घोषित करने के लिए मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया है। प्रदेश में 270 करोड़ रू. की लागत से तीन सुरंगें बनाने के लिए डी.पी.आर तैयार की जा रही हैं। डी.पी.आर. तैयार होते ही इन सुरंगों के निर्माण के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 2010–11 के लिए सड़कों के लिए मैं 530 करोड़ रू. की योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

सरकारी भवनों के लिए नीति

47. **सरकारी भवन बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी, भवनों के लिए सरकारी जमीन की अनुपलब्धता और उनके रख–रखाव की समस्या, कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से सरकारी कार्यालयों के आवास हेतु निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाना आवश्यक हो गया है। इसके लिए किराये पर भवनों को लेने की वर्तमान प्रक्रिया के अलावा हम ऐसी नीति बनाने का प्रस्ताव करते हैं जिसके तहत**

लम्बी अवधि के लिए, पारदर्शी तरीके से, निजी क्षेत्र में निर्मित भवनों/बिल्डिंगों को सरकारी कार्यालयों के लिए लीज़ किया जा सकेगा। इसके लिए ऐसे भवनों के निर्माण हेतु स्टैण्डर्ड नक्शे/मापदण्ड तय किए जाएंगे। इससे न केवल इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों का अन्य विकास कार्यों के लिए बेहतर उपयोग हो सकेगा।

पथ परिवहन/रेलवे

48. हमारी सरकार सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के अतिरिक्त, निजी बस ऑपरेटरों की भी सेवाएं ली जाएंगी। हमारी सरकार ज्यादा सम्भावित दुर्घटना वाले सड़क स्थलों पर स्टील क्रैश बैरियर लगाने का प्रस्ताव करती है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों की यात्रा सुरक्षित बने। आगामी वर्ष में आनी, जुब्बल तथा रोहड़ू बस अड्डों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

49. भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेल लाईन के भू–अर्जन तथा निर्माण के लिए आगामी वर्ष की योजना में 25 करोड़ रू. का प्रावधान राज्य के हिस्से के रूप में किया गया है। भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेल लाईन को सामरिक महत्व के दृष्टिगत मण्डी–कुल्लु–मनाली–लाहौल होते हुए लेह तक के विस्तार के प्रस्ताव पर हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। हमने पठानकोट–जोगिन्द्रनगर–मण्डी होते हुए मनाली के रास्ते लेह तक बड़ी रेल लाईन बिछाने का मामला, सामरिक हितों को देखते हुए, केन्द्र सरकार के साथ दृढ़ता से उठाया है। प्रदेश सरकार घनौली–बद्दी–कालाअम्ब–पांवटा साहिब–देहरादून रेल लाईन के लिए भी प्रयासरत हैं व इसके सर्वे और अन्य कार्यों के लिए रेल मंत्रालय को पूरा सहयोग दिया जाएगा।

जलापूर्ति एवं मल निकास

50. अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल का प्रावधान करना हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष, दिसम्बर, 2009 तक, 758 बस्तियां राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत तथा 3096 बस्तियां केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत जलापूर्ति स्कीमों के अधीन लाई गई हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 2500 हैंडपम्प, विशेषकर उन क्षेत्रों मे, जहां गर्मियों में पानी की कमी रहती है, स्थापित किए जाएंगे। सुन्दरनगर तथा धर्मशाला में जलापूर्ति योजनाओं को इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है तथा श्री नैनादेवी जलापूर्ति योजना 2010–11 में पूरी कर ली जाएगी।

51. 2010–11 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के मानकों के अनुसार, 5000 स्लिप्पड बैक बस्तियों को पेयजल आपूर्ति योजना के तहत लाने का प्रस्ताव है। पेयजल की गुणवत्ता सुधारने हेतु 785 ग्रामीण स्कूलों में जलमणी कार्यक्रम के अधीन पानी के प्योरीफिकेशन सिस्टम प्रदान किए जाएंगे। 24 मल निकास योजनाओं का कार्य प्रगति

पर है और उनके लिए 40 करोड़ रू. के परिव्यय का प्रावधान है। सुजानपुर तथा सरकाघाट नगरों की मल निकास योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष के दौरान पेयजल तथा मल निकास योजनाओं के लिए 260 करोड़ रू. का योजना परिव्यय प्रस्तावित है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

52. आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांवों में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। हमने अनुसूचितजाति उपयोजना परिव्यय में वृद्धि कर 742 करोड़ रू. के परिव्यय का प्रावधान किया है ताकि वर्तमान परियोजनाएं चलती रहें तथा नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सके।

53. डिसएबलड व्यक्तियों के लिए प्रदेश सरकार एक अलग से नीति बनाएगी जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को भी समाज में स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिल सकें।

54. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह विदित है कि हमारी सरकार समाज के पिछड़े व शोषित वर्ग के कल्याण के लिए पूर्णतः समर्पित है। **इस वित्त वर्ष में 15,234 अतिरिक्त लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के दायरे में लाया गया है। हमने इस योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा को, व्यक्तिगत मामलों में 6000 रू. से बढ़ाकर 9000 रू. और परिवार वाले मामलों में 11000 रू. से बढ़ाकर 15000 रू. करने का निर्णय लिया है।** सामाजिक सुरक्षा पैंशन के वितरण को सुचारू बनाने के लिए, हमने निर्णय लिया है कि ऊना जिले में शुरू की गई बॉयोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड योजना को बैंकों के माध्यम से अन्य जिलों में भी आगामी वर्ष में शुरू किया जाए।

बेटी है अनमोल योजना

55. लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए और समाज से लिंग भेद समाप्त करने हेतु हमारी सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिए **'बेटी है अनमोल'** योजना शुरू करने का निर्णय

लिया है। **इस योजना के अन्तर्गत हर बी.पी.एल. परिवार की दो लड़कियों तक को, उनके पैदा होने पर, उनके नाम से, डाकघर में सरकार द्वारा 5100 रू. प्रति लड़की जमा करवाया जाएगा। यह राशि, लड़कियों के व्यस्क होने पर ब्याज सहित एक सम्मानजनक राशि बन जाएगी जोकि उनके जीवन में स्वाभिमान से आगे बढ़ने के काम आएगी। वर्तमान में बी.पी.एल. परिवारों की लड़कियों को 10वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। अब जमा दो कक्षाओं के लिए भी यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। जमा दो कक्षाओं में छात्रवृत्ति 1500 रू. प्रतिवर्ष के दर से दी जाएगी।**

जनजातीय विकास

56. प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है व इसके लिए जनजातीय उपयोजना के लिए वार्षिक योजना का 9 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है। जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत किए जा रहे विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय बजट को

कम्पयूटरीकृत करके ऑनलाईन कर दिया गया है। 2010–11 की जनजातीय योजना के लिए 270 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा व तकनीकी शिक्षा

57. हमारी सरकार की तीन प्रमुख प्राथमिकताओं में शिक्षा का क्षेत्र शामिल है। हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि प्रदेश को देश के **'नौलेज़ हब'** के रूप में विकसित किया जाए। प्रदेश में नए निवेश को बढ़ाने के लिए व युवा वर्ग को प्रदेश के अन्दर ही बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमने कई नये निजी विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति दी है। जिला सोलन में **'अटल शिक्षा कुन्ज'** को विकसित किया गया है ताकि वहां पर कई उत्तम शिक्षा संस्थान आ सकें व इस क्षेत्र को विश्व स्तर के **'शिक्षा हब'** के रूप में विकसित किया जा सके।

58. हमारी सरकार, 2010–11 में शिक्षा के लिए गैर योजना मद में प्रस्तावित 2302 करोड़ रू. के अलावा 265 करोड़ रू. की राशि योजना मद में स्वीकृत करने का प्रस्ताव

करती है। **इस तरह शिक्षा के अन्तर्गत अगले वर्ष हेतु 2567 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है जोकि आज तक का इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा वार्षिक बजट प्रावधान है।** शिक्षा ढांचे को और सुदृढ़ बनाने हेतु विद्यालयों में गुणवत्ता बढ़ाने, लड़कियों की भर्ती बढ़ाने, ड्राप–आउट रेट कम करने, ग्रौस इनरोलमेंट बढ़ाने व बच्चों के आई.टी. व अंग्रेजी स्किल बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं व उनके संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए दृढ़संकल्प है।

59. भारत सरकार ने 'बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' बनाया है जिसे कि 01 अप्रैल, 2010 से लागू करने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह अधिनियम प्रभावशाली ढंग से प्रदेश में लागू किया जाए। विद्यालयों में समुदाय और माता पिता की सक्रिय भागीदारी के लिए विद्यालय प्रबन्धन

और विकासात्मक समितियां गठित की जाएंगी और उन्हें इस अधिनियम के अनुसार सशक्त किया जाएगा। इससे विद्यालयों की स्थानीय समुदाय के प्रति जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

60. हमने यह निर्णय लिया है कि 2011 से हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए, जिससे कि छोटे बच्चों पर परीक्षा के अनावश्यक बोझ को कम किया जा सके। 8वीं की बोर्ड परीक्षा के बजाये यह परीक्षा विद्यालयों में ही ली जाएगी व बच्चों की योग्यता का सत्त मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। हम शिक्षा बोर्ड के तहत प्रदेश में एक ओपन विद्यालय खोलने का विचार रखते हैं। इस ओपन विद्यालय के माध्यम से ऐसे बच्चों एवं दूर–दराज के लोगों को पढ़ने का मौका मिल सकेगा जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके हैं।

61. प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाई व सीनियर सेकेण्डरी विद्यालयों की सुविधाओं व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प है। **प्रदेश सरकार पिछड़े हुए ब्लॉकों में 5 मॉडल विद्यालय खोलेगी – इनमें से 4 स्कूल चम्बा जिले में व 1 स्कूल सिरमौर जिले में खोले जाएंगे। पिछड़े हुए ब्लॉकों में लड़कियों के लिए 5 होस्टल भी खोले जाएंगे ताकि हाई व सीनियर सेकेण्डरी विद्यालयों में लड़कियों की भर्ती बढ़ाई जा सके।**

62. **हमारी सरकार ने ग्राम विद्या उपासक, पैरा अध्यापक और पैट अध्यापकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है।** जिन 194 जे.बी.टी. प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों ने सरकार के साथ बांड हस्ताक्षरित किया था, उनको हमारी सरकार ने रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।

63. गत दो वर्षों में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 2009–10 में आई.आई.टी., मण्डी की कक्षाएं आई. आई.टी., रूड़की में शुरू की गई थी। हमारा प्रयास होगा

कि 2010–11 में यह कक्षाएं मण्डी में ही लगाई जाएं। कांगड़ा जिला में निर्मित किए जा रहे राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलॉजी संस्थान का कार्य जोरों से प्रगति पर है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम और भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए हमने हमीरपुर में नया तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य/आयुर्वेद

64. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं व मैडिकल महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस समय 806 उप स्वास्थ्य केन्द्र और 102 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निजी भवनों में चल रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि अगले 3 वर्षों में, जहां भूमि उपलब्ध होगी, वहां पर इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण पूरा किया जाएगा।

65. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार के 30,000 रू. स्वास्थ्य बीमा के अलावा, प्रदेश सरकार ने अलग से गम्भीर बिमारी/क्रिटिकल केयर के लिए 1.75 लाख रू. तक का बीमा भी करवाया है। बी.पी. एल. परिवारों को मुफ्त ओपीडी सुविधा और इस योजना के तहत मिलने वाली इनडोर सुविधा के साथ, सरकार ने इन परिवारों के लिए काफी हद तक स्वास्थ्य सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया है।

66. 10 और अस्पतालों में डायगनोस्टिक सुविधाओं को सुधारने के लिए हमारी सरकार पी.पी.पी. मोड में सी.टी. स्कैन लगाने का प्रस्ताव करती है। स्वास्थ्य इमरजेंसियों से निपटने के लिए, सरकार वित्तीय वर्ष 2010–11 में, एक आधुनिक इमरजेंसी मेडिकल रिस्पोन्स व परिवहन सिस्टिम शुरू करने जा रही है, **जिसके तहत निशुल्क एम्बुलैंस सेवा का नेटवर्क क्रियाशील रहेगा जिससे कि रोगियों, गर्भवती महिलाओं व दुर्घटना पीड़ितों को राहत मिलेगी और वे**

टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क करके इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

67. हमारी सरकार मण्डी, हमीरपुर, सिरमौर और ऊना जिलों में निजी क्षेत्र में मैडिकल महाविद्यालय खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 17 नए नर्सिंग विद्यालय व 4 नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी मैडिकल महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के नर्सिंग कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है।

68. मण्डी में ई.एस.आई. मैडिकल महाविद्यालय का कार्य शुरू किया जा चुका है। पालमपुर व सोलन में नये मैडिकल महाविद्यालय स्थापित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

69. आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा व जोगिन्द्रनगर में निजी सहभागिता से

आयुर्वेदिक फारमेसी महाविद्यालय खोला जाएगा। योग व आयुर्वेद पर आधारित पर्यटन बढ़ाने के लिए सरकार ने पतांजलि योगपीठ को कण्डाघाट में जमीन उपलब्ध करवाई है। अगले वर्ष के लिए मैं स्वास्थ्य व आयुर्वेद सम्बन्धी सुविधाओं के लिए 144.19 करोड़ रू. की योजना राशि का प्रस्ताव करता हूं।

पर्यटन

70. आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में प्रचारित–प्रसारित करने के लिए **'अनफॉरगेटएबल हिमाचल ब्रांड'** लांच किया जाएगा ताकि हिमाचल को इस ब्रांड से ख्याति प्राप्त हो सके। हमारी सरकार दीर्घकालीन पर्यटन मास्टर प्लान बना रही है ताकि प्रदेश के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा दी जा सके, प्रदेश में पर्यटकों के औसतन ठहराव को बढ़ाया जा सके, पर्यटन पूरे वर्ष का उद्योग बने और सुदूर क्षेत्रों में पर्यटकों का आगमन बढ़े।

71. शिमला शहर में शुरु की गई पहल **'हर घर कुछ कहता है'** की तरह, अन्य क्षेत्रों की प्रचलित कहानियों को पर्यटन विभाग **हर गांव की कहानी** के रुप में संग्रह करने पर काम कर रहा है। इन कहानियों की उचित डाकुमेंटेशन करके उनका प्रचार किया जाएगा ताकि हमारी अनूठी धरोहर के प्रति पर्यटक आकर्षित हों और पर्यटन को इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़ कर इसे वर्ष भर का आकर्षण बनाया जाएगा।

72. देश के अग्रणी व अच्छे होटल चेनों द्वारा प्रदेश में निवेश के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मैडिकल तथा शैक्षणिक पर्यटन को प्रदेश में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों के सहयोग से आगे बढ़ाया जायेगा। पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षित और दक्ष कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पर्यटन/हासपिटैलिटी के स्नातक स्तर के कोर्स चलाने का भी प्रस्ताव है। प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई

अड्डे बनाने के लिये व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निजि क्षेत्र को उन स्थानों पर हवाई अड्डे विकसित करने के लिये कहा जायेगा जहां पर कम से कम भूमि की आवश्यकता हो।

73. आकर्षक स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए लोक निर्माण एवं जन–स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से आवश्यक योजनाओं को चिन्हित किए जाने का प्रस्ताव है। पर्यावरण सरंक्षण, कृषि व वानिकी क्षेत्रों को पर्यटन के साथ जोड़ा जाएगा तथा मनरेगा के तहत वर्तमान योजनाओं को मिलाकर ग्रामीण पर्यटन को एक नई दिशा दी जाएगी।

74. हिमाचली खान–पान, हस्तकला एवं संस्कृति का पर्यटन से अनूठा सम्बन्ध है। इन सबकी झलक दिखाने के लिए पी.पी.पी. मोड में, **'हिमाचल हाट'** स्थापित करने का हम प्रस्ताव करते हैं। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध जियो–फौसिल विरासत को चण्डीगढ़ के संग्रहालय आर्ट गैलरी के

सहयोग से कसौली में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है जहां पर हिमाचल प्रदेश की इस अनूठी विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

वन, वन्य प्राणी, पर्यावरण

75. हमारी सरकार विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। इसके लिए सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव और यमुना जलग्रहण क्षेत्रों में उचित भूमि व वन संरक्षण हेतु कदम उठाए गए हैं। हमारे लगातार प्रयासों से केन्द्रीय कैम्पा प्राधिकरण ने इस वर्ष प्रदेश को 36 करोड़ रू. दिए हैं। प्रदेश स्तरीय कैम्पा जोकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त नदियों के जल संग्रह क्षेत्रों में सही ढंग से पौधारोपण कार्य हो, कैचमेंट क्षेत्र की सही ट्रीटमेंट की जाए और जहां–जहां पर भूमि कटाव अधिक हुआ है उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

76. कोल डैम कैचमेंट क्षेत्र में कार्यरत ईको बटालियन फोर्स ने बेहतरीन कार्य किया है। इस कैचमेंट क्षेत्र में इस

बटालियन के तत्वाधान में 90 से 100 प्रतिशत पौधारोपण कामयाब रहा है। **हम कैम्पा राशि से चार और ईको बटालियन स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं।** इन ईको बटालियन में न केवल लगभग 500 भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार मिलेगा बल्कि इन से सम्बन्धित कैचमेंट क्षेत्रों में लगने वाले पेड़ों को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकेगा।

77. हमारी सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम **'अपना वन अपना धन'** चलाया है जिसके अन्तर्गत निजी भूमि मालिकों को प्रोत्साहन स्वरूप निशुल्क पौधे वितरित किए जा रहे हैं ताकि उनकी निजी भूमि को भी वृक्षों/वनों के दायरे में लाया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत 2009–10 में, 18 लाख से ऊपर पौधे, 18,791 निजी भूमि मालिकों, संस्थाओं व विद्यालयों आदि को आबंटित किए गए हैं। सरकार ने **'सांझा वन संजीवनी वन'** कार्यक्रम भी आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 'जड़ी–बूटी राज्य' के

रूप में विकसित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य में 51 लाख औषधीय पौधे रोपित किए गए। वर्ष 2010–11 के लिए 60 लाख औषधीय पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है।

78. बन्दरों की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार द्वारा बन्दरों की नसबन्दी हेतु 3 केन्द्र, शिमला में टूटीकण्डी, हमीरपुर में सस्तर तथा कांगड़ा के गोपालपुर में स्थापित किए गए हैं। अगले वर्ष, ऊना जिला में एक और केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। 2009–10 के दौरान जनवरी माह तक 15,100 बन्दरों की नसबन्दी की गई तथा 2010–11 में 25,000 बन्दरों की नसबन्दी का लक्ष्य रखा गया है।

79. 2 राष्ट्रीय वन पार्क व 33 वन्य प्राणी सेन्क्चयुरी के अन्तर्गत आने वाले संरक्षित क्षेत्र के युक्तिकरण करने के बाद प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र बढ़ गया है। साथ ही इस युक्तिकरण के कारण यहां रहने वाले ग्रामीणों और पशुओं

को काफी राहत मिली है।

80. हमारी सरकार अवैध कटान व लकड़ी की तस्करी की समस्या से भली–भांति परिचित है। वन सम्पदा को बचाने के लिए 5 वन थाने चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित किए गए हैं जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं तथा अगले वित्तीय वर्ष 2010–11 में 11 अन्य थानों को संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। वन व वन्य प्राणी क्षेत्रों के लिए, 2010–11 में 119.41 करोड़ रू. की योजना राशि प्रस्तावित की गई है।

81. हिमालय क्षेत्रों के पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ–साथ विकास को गतिमान बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पर्यावरण पर विचार–विमर्श को आगे बढ़ाने के उद्धेश्य से हमने हाल ही में शिमला में हिमालय राज्यों के मुख्यमंत्रियों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया, जिसका विषय 'इण्डियन हिमालयाज़ : ग्लेशियरज़, क्लाइमेट चेन्ज एण्ड लाइबलिहुड' था जिसके परिणामस्वरूप 'शिमला

डैकलेरेशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन डिवलपमैंट' की घोषणा हुई। इस घोषणा के अन्तर्गत हिमालयन सस्टेनेबल डिवलपमैंट फोरम की स्थापना करना, मौसम परिवर्तन पर राज्य परिषदों का गठन करना और इको–सिस्टम सेवाओं के लिए भुगतान आदि विषयों पर कार्य करने पर बल दिया गया।

82. मौसम परिवर्तन, भूकम्प, भूस्खलन, हिमनद झीलों के बहाव, अचानक बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश सरकार राज्य स्तरीय ग्लेसियर अध्ययन, मौसम परिवर्तन तथा आपदा प्रबन्धन केन्द्र का गठन करेगी। हम राज्य संसाधन सूचना केन्द्र स्थापित करने की योजना भी बना रहे हैं, जोकि पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और मौसम परिवर्तन के लिए केन्द्रीय डाटाबेस केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

83. 1999 में, हमारे द्वारा रीसाईकलड पॉलीथीन पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश ने, पूरे देश

में सबसे पहले यह कदम उठाया था। 2 अक्तूबर, 2009 से हमने प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके साथ ही हम शहरों की ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाएंगे। हमने प्लास्टिक कचरे को सीमेंट भठियों में संसाधित करने और सड़क निर्माण में प्लास्टिक के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। हमने दिसम्बर, 2009 में **'पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ'** अभियान शुरू किया और लगभग 138 टन पॉलीथीन कचरा इक्ट्ठा किया जोकि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के काम में लाया जाएगा।

उद्योग

84. अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2003 में केन्द्र में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा ने हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान की थी। ये प्रोत्साहन 10 साल अर्थात् 2013 तक था लेकिन बाद में इन प्रोत्साहनों की अवधि को घटा कर मार्च, 2010 तक कर दिया गया। इस मान्य

सदन ने धर्मशाला में अपने पिछले सत्र के दौरान औद्योगिक पैकेज को 2020 तक बढ़ाने हेतु प्रस्ताव पारित किया था क्योंकि यह राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने हेतु अतिआवश्यक है। राज्य सरकार ने इस मामले को केन्द्र सरकार के साथ जोरदार ढंग से उठाया है। हमें इस बात की निराशा है कि प्रदेश के औद्योगिक पैकेज बढ़ाने की इस जायज़ मांग का हाल ही में पेश किए गए केन्द्रीय बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

85. औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के उद्धेश्य से प्रदेश में 7464 बीघा का एक भूमि बैंक बनाया गया है, ताकि औद्योगिक ईकाइयों को स्थापित करने के लिए तुरन्त भूमि उपलब्ध हो सके। बद्दी में 58 करोड़ रू. की लागत से कनटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा इनलैंड कन्टेनर डिपों स्थापित करने का 50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।

86. फॉरमेसी और फूड प्रोसेसिंग उद्योग में रोज़गार अवसरों को बढ़ाने के लिए, हिमाचल प्रदेश औषधि निर्माण संघ के सहयोग से एक प्रशिक्षण संस्था स्थापित की जा रही है जो अप्रैल, 2010 तक शुरू हो जाएगी। इस पर 1.55 करोड़ रू. की लागत सम्भावित है और यह प्रतिवर्ष 800 लोगों को प्रशिक्षित करेगी।

रोज़गार सृजन तथा श्रम कल्याण

87. हमारी सरकार की नीति है कि युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योग स्थापित किए जाएं, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाई जाए तथा जलविद्युत एवं पर्यटन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाए। राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से युवाओं के मौजूदा स्किल लेवल और उनमें कमी का मूल्यांकन करवाया है। इस स्टडी के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं के रोजगार स्किल बढ़ाने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

88. विभिन्न उद्योगों में हिमाचली युवाओं हेतु 70 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित करने सम्बन्धी नीति अक्षरशः लागू की जाएगी। इस उद्धेश्य की पूर्ति हेतु बड़े पैमाने पर कैम्पस साक्षात्कार/रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को ऑन लाईन पंजीकरण की सुविधा के लिए सभी रोजगार कार्यालयों में ऑन लाईन सुविधा प्रदान की जाएगी। सम्भावित नियोक्ताओं को इन कार्यालयों में उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर भर्ती करने की सुविधा रहेगी। सभी अधिसूचित रिक्तियां श्रम एवं रोजगार विभाग की वैबसाईट पर भी डाली जाएंगी ताकि बेरोजगार लोगों को नौकरी के लिए सीधे आवेदन करने की सुविधा रहे। **1 फरवरी, 2010 से औद्योगिक तथा सम्बद्ध क्षेत्र के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को 100 से बढ़ा कर 110 रू. कर दिया गया है।**

89. सरकारी क्षेत्र में रोज़गार देने की अपनी जिम्मेवारी से भी हमारी सरकार पीछे नहीं हटी है। अधिक रोजगार अवसर

प्रदान करने तथा प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए हम अगले वर्ष भी और कार्यमूलक पदों को भरेंगे।

गृह/ कानून एवं व्यवस्था

90. हालांकि कानून व्यवस्था अच्छी और नियंत्रण में है फिर भी लगातार सतर्कता रखी जानी आवश्यक है ताकि राज्य में शान्ति का वातावरण बना रहे। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण, बाहर के मजदूरों का आगमन और पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति से हमारे पुलिस बलों पर दबाव बढ़ता है। हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस तथा आईटीबीपी, जम्मू–कश्मीर के साथ लगते सीमावर्ती जिला चम्बा में तैनात है ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जा सके। पुलिस बल की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अगले वर्ष की योजना में 16.40 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

91. राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस बल को आधुनिक बनाने तथा इसे और अधिक सक्षम, प्रभावी तथा जनता के

प्रति जवाबदेह बनाने हेतु वचनबद्ध है। इसके लिए सामुदायिक पुलिसिंग थानों को और सुदृढ़ किया गया है। वर्ष 2009–10 में पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु 6.10 करोड़ रू. की राशि आबंटित की गई है। 2010–11 के लिए 13.10 करोड़ रू. की आधुनिकीकरण योजना बनाई गई है ताकि नई चुनौतियों का सक्षमता से मुकाबला किया जा सके।

92. हमने अगले वर्ष के लिए न्यायपालिका के बिल्डिंग कार्यों के लिए 20 करोड़ रू. के पूंजी व्यय का प्रावधान रखा है। स्वच्छ प्रशासन के लिए हमारी सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाई है व हम इस नीति के प्रति वचनबद्ध हैं।

राजस्व प्रशासन/पुनर्वास

93. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि राजस्व प्रशासन ग्रास रूट स्तर पर कार्य करता है। राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण पर ज्यादा बल दिया जाएगा जिसके लिए रिकार्ड व पंजीकरण कार्य के कम्पयूटरीकरण

और आधुनिक सर्वे की तकनीकों से नक्शों को तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इस कार्य के लिए हम 17.60 करोड़ रू. खर्चने का प्रस्ताव करते हैं।

94. प्रदेश सरकार भाखड़ा बांध व पौंग बांध के विस्थापितों सहित अन्य विस्थापितों के कल्याण व उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्नशील है व सरकार का प्रयास रहेगा कि उनका पुनर्वास उनके हितों को देखते हुए किया जाए। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के अनुसार सरकार ने पनबिजली व सीमेंट उद्योगों के लिए मॉडल पुनर्वास स्कीम तैयार की है।

शहरी विकास

95. हमारी सरकार ने नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के प्रधान/उप प्रधान पदों के लिए सीधे चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शिमला नगर निगम के लिए भी महापौर व उप महापौर के पदो ंके लिए सीधे चुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। शहरों के बुनियादी ढांचे के रखरखाव व उसके सुधार हेतु, 2009–10 में शहरी निकायों

को तीसरे राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार 41.77 करोड़ रू. प्रदान किए गए। 2010–11 में इस राशि को बढ़ाकर 46 करोड़ रू. किया जा रहा है। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत समेकित आवास व स्लम विकास सब–मिशन में, हिमुडा को 2009–10 में, बद्दी, नालागढ़ और परवाणु में 800 घर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 4.50 करोड़ रू. प्रदान किए हैं। शहरी विकास के लिए अगले वर्ष की योजना राशि 62 करोड़ रू. निर्धारित की गई है।

96. हमारे चुनाव घोषणा पत्र में, हमने नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम में संशोधन करने का वायदा किया था ताकि इसे लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। आज के शहरी परिदृश्य और भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत एक नया हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विधेयक तैयार किया गया है, जिसे इस विधान सभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। नया विधेयक, अधिनियम बनने के

बाद, निश्चित और पूर्ण रूप से प्रदेश की विशिष्ट प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर व इसके पर्यावरण का संरक्षण करेगा। प्रस्तावित विधेयक, प्रदेश के विभिन्न शहरों की विकास योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु, एक एकीकृत नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

97. हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का जन सेवाओं में पूरा उपयोग करके आम आदमी को बेहतर सेवाएं देने के लिए अग्रसर है। प्रदेश में 44 करोड़ रू. का डाटा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। हिमस्वान के माध्यम से विभाग सम्बन्धित डाटा का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश स्तर पर डिलिवरी गेटवे सर्विस प्रारम्भ की जाएगी, जिससे कि लोगों को आई.टी. आधारित सेवाएं मिल सके। प्रदेश में पेमेंट गेटवे सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से आम लोगों को सरकारी फीस/बकाया/कर इत्यादि जमा करवाने में सुविधा होगी।

युवा सेवाएं एवं खेल

98. युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार खेलों के बुनियादी ढांचे के विकास, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध करवाने पर बल देती रहेगी। धर्मशाला व हमीरपुर में सिंथैटिक ट्रैक के निर्माण के अलावा हमारी सरकार वॉलीबाल व बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कोर्ट व सुविधाएं विकसित करेगी। क्रिकेट के बढ़ावे के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के सहयोग से प्रत्येक जिले में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम विकसित करेगी। धर्मशाला में होने वाले आई.पी.एल. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन में हम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की मद्द करेंगे। इस आयोजन से पर्यटन व स्थानीय आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा।

भाषा कला एवं संस्कृति

99. हमारी सरकार कला व संस्कृति के संरक्षण एवं सम्वर्धन हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही

है। हिमाचल प्रदेश के शक्तिस्थल एवं देवस्थल सुविख्यात हैं। इन शक्तिपीठों के दर्शन के लिए विश्व भर के श्रद्धालु लालायित रहते हैं। सरकार श्री वैष्णो देवी एवं तिरूमला–तिरूपति जैसे धर्मस्थलों की तर्ज पर इन मन्दिरों में श्रद्धालुओं को सीधा सम्पर्क करने की सुविधा प्रदान करेगी जिससे श्रद्धालु कहीं से भी इन मन्दिरों में पूजा–अर्चना कर सकेंगे। समस्त राज्य एवं जिला स्तरीय उत्सवों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिमाचल के स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक मंच प्राप्त हो। हम पहाड़ी मिनिएचर चित्र कला को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाएंगे। ऊना में सांस्कृतिक परिसर का निर्माण भी अगले वर्ष में आरम्भ किया जाएगा।

सैनिक कल्याण **100.** हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं, शौर्य विजेताओं के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध रही है। हमने दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों या उनकी विधवाओं की पैंशन को 200 रू. से बढ़ाकर 500 रू. कर दिया है। जिन

माता पिता के बच्चों ने राष्ट्रीय आपातकाल 1962 एवं 1971 के दौरान लड़ाई लड़ी थी, उनकी युद्ध जागीर 900 रू. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2000 रू. प्रति वर्ष कर दी गई है।

101. सैनिकों के अदम्य साहस एवं सेवाभाव को सम्मान देते हुए 'बार' विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को भी 'बार' शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जा रही वित्तीय सहायता के समान वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह सहायता ऐसे 'बार' अवार्डीज़ को एक मुश्त नकद राशि एवं एनयुटी के रूप में दी जाएगी। बरमाणा में भूतपूर्व सैनिक निगम का नया कार्यालय 1.35 करोड़ रू. की लागत से निर्मित किया जाएगा।

102. हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कार्यरत है। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश का सशस्त्र सेनाओं में भर्ती कोटा बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से मामला लगातार उठाती रहेगी।

कर्मचारी व असैनिक पैंशनर कल्याण

103. हमारी सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर कर्मचारियों व पैंशनरों के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शाई है। हमने अपने कार्यकाल में इन श्रेणियों को हजारों करोड़ रू. के वित्तीय लाभ दिए हैं। कन्ट्रैक्ट कर्मचारी व दिहाड़ीदार मजदूरों को पारदर्शी नीति के तहत नियमित किया जा रहा है। **आगामी वर्ष में 31.3.2010 तक आठ वर्ष पूरा करने वाले कन्ट्रैक्ट कर्मचारियों व दिहाड़ीदार मज़दूरों को नियमित किया जाएगा।** हमारी सरकार ने कन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की वेतन राशि बढ़ा दी है जिससे उनको काफी लाभ हुआ है।

104. पिछले साल के बजट भाषण में कलास–4 श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए पदोन्नति कोटे पर कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। अधीनस्थ सेवाएं चयनित बोर्ड के माध्यम से सीमित सीधी भर्ती द्वारा 800 पद विज्ञापित कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा यह पद 6 महीने में भर दिए जाएंगे।

प्रशासनिक सुधार व शिकायतों का निवारण

105. हम पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध हैं। हमने ऑनलाईन ई–समाधान सुविधा शुरू की है जिसके तहत कोई भी नागरिक अपनी शिकायत आनलाईन दर्ज कर सकता है व उस पर की जा रही कार्रवाई को भी मॉनिटर कर सकता है। इसको और सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि यह सुविधा जन–जन की समस्याओं को जल्दी निपटाने के लिए काम आ सके।

वित्तीय संसाधनों में बढ़ौतरी

106. वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग को 21 करोड़ रू. की लागत से कम्पयूटरीकृत किया जाएगा ताकि राजस्व चोरी को रोका जा सके। करों के आधार को बढ़ाने के लिए वैट अधिनियम के तहत जिन वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से वैट देय था, उन वस्तुओं पर अन्य राज्यों की तरह, अब प्रदेश में भी 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव किया जाता है। खाद्य तेल और खाद्यान्नों पर वैट दर में कोई बढ़ौतरी नहीं की जाएगी। इस विधान सभा सत्र में सरकार

हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर विधेयक, 2010 लाने का प्रस्ताव करती है जिससे अतिरिक्त कर राजस्व एकत्रित किया जा सकेगा। यह प्रवेश कर उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, टर्नकी परियोजनाओं के लिए लाई जा रही वस्तुओं, पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट, इत्यादि पर लगाया जाना प्रस्तावित है। हमारी सरकार अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए मितव्ययता के कठोर कदम उठाए जाएंगे।

बजट अनुमान

107. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वृह्द बजट अनुमानों का उल्लेख करता हूं। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार मैं 2009–10 से 2012–13 तक की राज्य सरकार की मध्य अवधि राजकोषीय योजना को अलग से प्रस्तुत कर रहा हूं।

108. 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व आय 11,588.55 करोड़ रू. तथा कुल राजस्व व्यय 12,093.42

करोड़ रू. अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व लेखों में 504.87 करोड़ रू. का घाटा रहेगा। पूंजीगत लेखों में कुल अनुमानित प्राप्तियां 2,798.77 करोड़ रू. तथा ऋण वापसी सहित कुल पूंजीगत व्यय 2,985.50 करोड़ रू. होने की आशा है। 2010–11 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले 5.08 प्रतिशत अनुमानित है।

109. 2010–11 में कुल 15,078.92 करोड़ रू के व्यय का अनुमान है। वेतन पर 4,454.59 करोड़, ब्याज अदायगी पर 2,236.30 करोड़, ऋण वापसी पर 1,026.04 करोड़ तथा पैंशन पर 1,850 करोड़ रू. का व्यय अनुमानित है।

110. बजट अनुमानों के अनुसार प्रत्येक 100 रू. के व्यय के मुकाबले कुल राजस्व आय 77 रू. है, जिसमें केन्द्र से धन प्राप्ति भी शामिल हैं। 23 रू. के अन्तर को ऋणों से पूरा करना होगा। राजस्व आय के प्रत्येक 100 रू. में 26 रू. अपने करों से प्राप्त राजस्व, 15 रू. गैर कर राजस्व, 14 रू. केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में तथा 45 रू. केन्द्रीय

अनुदान से प्राप्त होंगे। प्रत्येक 100 रू. के व्यय में 30 रू. वेतन पर, 15 रू. ब्याज की अदायगी, 8 रू. ऋण की वापसी, 12 रू. पैंशन पर, 8 रू. रख–रखाव पर तथा शेष 27 रू. प्रमुख विकासात्मक कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।

निष्कर्ष

111. अगले वर्ष के लिए बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है। मैं अब बजट की मुख्य विशेषताओं तथा हमारी सरकार की उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करना चाहूंगाः

- **हिमाचल प्रदेश को दो विख्यात व स्वतंत्र मीडिया ग्रुपों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है।**
- **नवम्बर, 2009 तक के मूल्यांकन के अनुसार प्रदेश को बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पूरे देश में पहले नम्बर पर आने का गौरव प्राप्त हुआ है।**
- **2009–10 के लिए अनुमानित 7.2 प्रतिशत की राष्ट्रीय**

विकास दर के मुकाबले हिमाचल प्रदेश की विकास दर 7.5 प्रतिशत अनुमानित।

- अगले वर्ष का कुल बजट 15078.92 करोड़ रू. प्रस्तावित।
- 2010–11 के लिए वार्षिक योजना 3000 करोड़ रू.। 64 प्रतिशत योजना राशि पूंजीगत निवेश पर खर्च होगी।
- विश्व बैंक से 471 करोड़ रू. की अतिरिक्त किश्त मिलने से विकास गतिविधियों के लिए और धन उपलब्ध हुआ है।
- बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्रदेश की खाद्यान्न उपदान योजना चालू रहेगी। 3 दालों, 2 खाद्य तेलों व नमक पर उपदान।
- किसानों व बागवानों के हितों का बजट। 353 करोड़ रू. की 'पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि' योजना का सफल क्रियान्वयन।
- बांस के पॉलीहाऊस लगाने वाले बी.पी.एल. परिवारों को

80 प्रतिशत की बजाये 90 प्रतिशत उपदान।

- 372 करोड़ रू. की नई योजना जिससे कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन व किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

- 85 करोड़ रू. की लागत से 'सेब नवीनीकरण' योजना का प्रस्ताव।

- नदी नालों में बह रहे पानी की एक–एक बूंद को बचाया जाएगा। जल संरक्षण व वाटरशैड योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में बेहतर समन्वय सुनिश्चित।

- आगामी वर्ष में 'मुख्यमंत्री आरोग्य पशु धन' योजना का आरम्भ। पशुपालन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अगले तीन वर्षों में प्रत्येक पंचायत में पशु औषधालय खोला जाएगा। आगामी वर्ष में 800 पशु चिकित्सा सहायक प्रशिक्षित किए जाएंगे।

- कृषि व सिंचाई क्षेत्रों के लिए अगले वर्ष के लिए 427 करोड़ रू. की योजना राशि प्रस्तावित।

- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत 3700 बी.पी.एल. ग्रामीण युवकों को रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण।
- 'अटल आवास' योजना और 'इंदिरा आवास' योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता अगले वर्ष से 38,500 रू. से बढाकर 48,500 रू. प्रति यूनिट की गई।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत अगले वर्ष तक 100 प्रतिशत पंचायतों को 'खुले में शौच मुक्त' करने का निर्णय।
- पंचायत उप प्रधान व नगर परिषद/नगर पंचायतों के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के लिए सीधे चुनाव कराने का निर्णय। शिमला नगर निगम में महापौर और उप महापौर के लिए भी सीधा चुनाव।
- मनरेगा व अन्य योजनाओं के सोशल आडिट में पंचायतों की अधिक सहभागिता।
- 'अटल बिजली बचत' योजना के तहत प्रत्येक घरेलु

उपभोक्ता को 4 मुफ्त सीएफएल बल्बों का सफल वितरण। प्रतिवर्ष लगभग 270 मिलियन यूनिट और 100 करोड़ रू. की बिजली बचत।

- अगले वर्ष 600 मैगावाट की बिजली क्षमता में बढ़ौतरी।
- लघु पन बिजली नीति का युक्तिकरण किया जाएगा जिससे कि छोटी पन बिजली योजनाओं से बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। ट्रांसमिशन की मास्टर प्लान अगले 6 महीनों में तैयार की जाएगी।
- सड़कों के लिए योजना राशि 530 करोड़ रू. निर्धारित।
- सड़कों के रखरखाव पर विशेष बल।
- 270 करोड़ रू. की लागत से 3 सुरंगों को बनाने का प्रस्ताव।
- लम्बी अवधि के लिए, पारदर्शी तरीके से, निजी क्षेत्र की सहभागिता से भवनों/बिल्डिंगों को सरकारी सेवाओं के लिए लीज़ पर लेने के लिए नीति।

- भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेल लाईन के लिए 25 करोड़ रू. का प्रावधान। इस रेल लाईन के सामरिक महत्व को देखते हुए मण्डी–कुल्लु–मनाली–लाहौल–लेह तक विस्तार के प्रयास जारी।
- राज्य सरकार ने पठानकोट से जोगिन्द्रनगर–मण्डी होते हुए मनाली के रास्ते लेह तक बड़ी रेल लाईन बिछाने का मामला, केन्द्र सरकार के साथ उठाया है। घनौली–बद्‌दी–कालाअम्ब–पांवटा साहिब–देहरादून रेल लाईन के लिए सरकार प्रयासरत।
- पेयजल व सीवरेज़ योजनाओं के लिए 260 करोड़ रू. की योजना राशि।
- अगले वर्ष 5000 स्लिप्पड बैक बस्तियों को पेयजल आपूर्ति योजना के तहत लाने का प्रस्ताव।
- इस वर्ष 2500 हैंडपम्प स्थापित किए जाएंगे।
- अनुसूचित जाति उप योजना बढ़ाकर 742 करोड़ रू. की गई व जनजातीय उप योजना बढ़ाकर 270 करोड़

रू.।

- अनुसूचित जाति उप योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। अनुसूचित जातियों की 40 प्रतिशत आबादी वाले गांवों को भी बेहतर बुनियादी सुविधायें दी जाएंगी।
- डिसएबलड व्यक्तियों के लिए प्रदेश की अपनी नीति लाई जाएगी।
- इस वर्ष में 15234 और लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन।
- सामाजिक सुरक्षा पैंशन की पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ाई गई।
- बीपीएल परिवारों के लिए 'बेटी है अनमोल' योजना शुरू।
- प्रदेश में 'बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' को लागू करने का निर्णय। समुदाय और माता पिता की स्कूल प्रबन्धन में और

अधिक भागीदारी।

- प्रदेश में अपने ओपन स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव।
- 2011 से आठवीं कक्षा के लिए बोर्ड की परीक्षा समाप्त।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हाई व सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों की सुविधाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। चम्बा व सिरमौर जिलों में 5 नये मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- आईआईटी मण्डी की कक्षायें अगले साल से मण्डी में शुरू की जाएंगी।
- सभी जिलों में बीपीएल परिवारों के लिए विस्तृत स्वास्थ्य बीमा योजना।
- कांगड़ा, मण्डी, सोलन, हमीरपुर, सिरमौर व ऊना में निजी क्षेत्र में मेडिकल महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव।
- 4 बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय व 17 नर्सिंग स्कूल निजी भागीदारी के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे हैं।

- अगले वित्तीय वर्ष में इमरजेंसी मेडिकल रिसपोंस एण्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत निशुल्क एम्बूलैंस सेवा का आरम्भ।
- 'अनफॉरगेटेबल हिमाचल' के अन्तर्गत ब्रांड हिमाचल का प्रोत्साहन।
- अग्रणी होटल व्यवसायियों द्वारा प्रदेश में निवेश के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव।
- 'हिमाचल हाट' स्थापित किया जाएगा। कसौली में जियो फौसिल गैलरी खोली जाएगी।
- पर्यटन को इतिहास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के साथ जोड़ कर सुदूर स्थानों तक ले जाना व इसे पूरे साल का आकर्षण बनाना।
- पर्यटन विकास हेतु, बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सम्बन्धित विभागों में बेहतर समन्वयन।
- हिमालय क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण व संतुलित विकास

के लिए शिमला घोषणा पत्र जारी।

- राष्ट्रीय वन पार्क व वन्य प्राणी सेंक्चयुरी का युक्तिकरण करने से लोगों को राहत।
- 4 नए ईको बटालियन खोलने का प्रस्ताव।
- 01 फरवरी, 2010 से औद्योगिक वेतनभोगियों व विभिन्न कामगारों की दैनिक मजदूरी 100 से बढ़ाकर 110 रू.।
- बेतरतीब निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नगर व ग्राम नियोजन कानून में संशोधन का प्रस्ताव।
- रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटरीकृत किया जाएगा ताकि वे युवकों को निजी व सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों के बारे में ऑनलाईन सूचना प्रदान कर सकें।
- पंजाब वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के वेतन संशोधित। सरकारी पैंशनरों की पैंशन में बढ़ौतरी की गई। कर्मचारियों व पैंशनरों को हजारों करोड़ रू. का लाभ।

- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से पदोन्नति की नीति क्रियान्वित।
- कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी।
- 31.3.2010 तक आठ वर्ष पूरा करने वाले कन्ट्रैक्ट कर्मचारियों व दिहाड़ीदार मज़दूरों को आगामी वर्ष में नियमित किया जाएगा।
- ग्राम विद्या उपासक, पैरा और पैट अध्यापकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
- 194 जे.बी.टी. प्रशिक्षित व्यक्ति जिन्होंने बांड हस्ताक्षरित किया था, की नियुक्ति की जाएगी।
- 'बार' विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को भी 'बार' शौर्य पुरस्कार विजेताओं के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय।

112. अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि अपने बजट भाषण के माध्यम से मैंने सरकार की विकासात्मक प्राथमिकताओं तथा हिमाचल प्रदेश की आर्थिक प्रगति व

विकास को सुदृढ़ करने का उल्लेख किया है। हमारी सरकार के शासनकाल के दो वर्षों में की गई प्रगति हम सब के सामने है और इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिली है। 2010–11 के बजट से हम विकास की गति को और आगे बढ़ाएंगे। वेतन और पैंशन के संशोधन के फलस्वरूप अगले वित्त वर्ष में हमें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी उचित समय पर सही नीतियों को अपना कर हम बढ़े हुए वित्तीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे।

113. प्रदेश की जनता के सहयोग से हम हिमाचल प्रदेश को ऐसा राज्य बनाएंगे जहां पर सभी स्वाभिमान के साथ जी सकें और सभी को उचित रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर मिलें। हमारा लक्ष्य रहेगा '**सबसे ऊपर हिमाचल**'।

114. हमारी सरकार का यह बजट हिमाचल प्रदेश के लोगों के समृद्ध भविष्य को बनाने के लिए एक निरन्तर प्रयास है। मैं यह बजट इस प्रदेश की कड़ी मेहनत करने वाली जनता

को समर्पित करता हूं।

115. इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को मान्य सदन को संस्तुत करता हूं।

जय हिन्द।
जय हिमाचल।

***